-

अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर, 2006

क्रमांक 2305/वि.नि.आ./2006, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 की उपधारा (बी) द्वारा प्रदत्त विद्युतयों का उपयोग करते हुए तथा समस्त विद्युतयों के सामर्थ्य में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के दोहन किये जाने तथा प्रणाली में शीर्ष समय में विद्युत की कमी को घटाने हेतु निम्न विनियम बनाता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, 2006

अध्याय एक : प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ तथा व्याख्या :

1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, 2006 (क्रमांक जी. 30, वर्ष 2006)''** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा ।

परिभाषाएं :

1.4 जब तक संदर्भ अन्यथा उपेक्षित न हो, इन विनियमों में

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''बिलिंग चक्र'' से अभिप्रेत है एक माह की अवधि जो माह के प्रथम दिवस को 00.00 बजे से प्रारंभ होकर माह के अन्तिम दिवस को 24.00 बजे समाप्त होती है;

(सी) ''कैप्टिव विद्युत संयंत्र (कैप्टिव पावर प्लांट)'' का अर्थ वही होगा जैसा कि इसके शब्दों को इन विनियमों के अनुच्छेद 1.5 में इसे परिभाषित किया गया है;

(डी) कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक (होल्डर)'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, कम्पनी अथवा एक निगमित निकाय जो कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र का स्वामी हो;

(ई) ''कैप्टिव प्रयोक्ता (यूजर)'' का अर्थ वही होगा जैसा कि इसके शब्दों को इन विनियमों के अनुच्छेद 1.5 में इसे परिभाषित किया गया है;

(एफ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.);

(जी) ''दिवस'' से अभिप्रेत है 24 घंटे की निरंतर अवधि;

(एच) ''नियमित विद्युत (फर्म पावर)'' से अभिप्रेत है किसी अनुज्ञप्तिधारी तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र के मध्य विद्युत क्रय अनुबंध (पावर परचेज एग्रीमेंट – पी.पी.ए.) के अन्तर्गत कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा;

(आई) ''अनियमित विद्युत (इन्फर्म पावर)'' से अभिप्रेत है किसी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा जो कि उपरोक्त परिभाषित नियमित विद्युत के 90 प्रतिशत से कम हो;

(जे) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी;

(के) ''वैकल्पिक अवधि (स्टैंड–बाई पीरियड)'' से अभिप्रेत है किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के उपबंधों के अन्तर्गत प्रक्रियानुसार वैकल्पिक समर्थन हेतु अवधि की गणना;

(एल) ''वैकल्पिक समर्थन (स्टैंड–बाई सपोर्ट)'' से अभिप्रेत है कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य उसके प्रदाय क्षेत्र में कैप्टिव विद्युत संयंत्र के नियोजित अथवा विवशताजनक अवरोध (फोर्सड आऊटेज) के संबंध में की गई एक संविदा व्यवस्था;

(एम) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं है वही अर्थ रखेंगी जैसा कि इन्हें अधिनियम में दर्शाया गया है, तथा इनकी अनुपस्थिति में, वही अर्थ रखेंगी जैसी कि इन्हें विद्युत प्रदाय उद्योग में सामान्य रूप से समझा जाता हो ।

कैप्टिव विद्युत संयंत्र की परिभाषा, स्वयं द्वारा उपभोग बनाम विक्रय के मिश्रण के संबंध में

1.5 किसी विद्युत संयंत्र को कैप्टिव विद्युत संयंत्र के रूप में उसी दशा में अभिज्ञापित किया जावेगा जबकि वह भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 जून, 2005 को अधिसूचित विद्युत नियम, 2005 के अनुच्छेद 3 (1) (ए) तथा 3 (1) (बी) में वर्णित शर्तों, जिन्हें कि सुलभ संदर्भ हेतु आगे उद्धरित किया गया है कि तुष्टि करता हो :

(1) कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के साथ पठित धारा 9 के अधीन तब तक ''कैप्टिव उत्पादक संयंत्र'' के रूप में अर्हक नहीं होगा –

(क) विद्युत संयंत्र के मामलें में –

(i) *स्वामित्व का कम–से–कम छब्बीस प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित है, और*

(ii) *वार्षिक आधार पर निर्धारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत के कम–से–कम इक्यावन प्रतिशत की खपत कैप्टिव प्रयोग के लिये की जाती है :*

बशर्ते कि पंजीकृत सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में ऊपर पैराग्राफ (i) और (ii) के अधीन उल्लिखित शर्तों की पूर्ति सहकारी सोसायटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से की जाएगी :

आगे बशर्ते कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) संयंत्र में कुल कम–से–कम छब्बीस प्रतिशत का स्वामित्व धारित करेंगे और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) दस प्रतिशत की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित उत्पादित विद्युत के कम–से–कम इक्यावन प्रतिशत की खपत करेंगे;

(ख) *ऐसे उत्पादक स्टेशन के मामले में जिसका स्वामित्व ऐसे उत्पादक स्टेशन के लिये विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित कंपनी द्वारा किया जाता है, कैप्टिव प्रयोग के लिये अभिज्ञात ऐसे उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा यूनिटें निम्नलिखित सहित ऊपर उप–खंड (क) के पैराग्राफ (i) और (ii) में विहित शर्तें पूरी करती हैं न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन ।*

स्पष्टीकरण :–

(1) *कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली अपेक्षित विद्युत का निर्धारण कैप्टिव प्रयोग के लिये अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों द्वारा कुल खपत के संदर्भ में किया जाएगा न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के संदर्भ में; और*

(2) *उत्पादक स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित इक्विटी शेयर कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों से संबंद्ध कंपनी की इक्विटी के समानुपात का छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा ।*

(2) *यह सुनिश्चित करना कैप्टिव प्रयोक्ताओं का दायित्व होगा कि ऊपर उप–नियम (1) के उप–खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रतिशतता पर कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत बनाई रखी जाती है और अगर किसी भी वर्ष में कैप्टिव प्रयोग की न्यूनतम प्रतिशतता का पालन नहीं किया जाता है तो उत्पादित संपूर्ण विद्युत को ऐसा माना जाएगा मानों यह किसी उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति है ।*

स्पष्टीकरण :– *(1) इस नियम के प्रयोजनार्थ –*

(क) ***"वार्षिक आधार"*** *किसी वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जावेगा;*

(ख) ***"कैप्टिव उपयोगकर्ता"*** *का अर्थ किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंत प्रयोक्ता होगा और ''कैप्टिव प्रयोक्ता'' शब्द का तद्नुसार अर्थ माना जाएगा ;*

(ग) *किसी उत्पादक स्टेशन अथवा किसी कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के संबंध में* ***"स्वामित्व"*** *का अर्थ मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर पूंजी होगा । अन्य मामलों में स्वामित्व का अर्थ उत्पादक स्टेशन अथवा विद्युत संयंत्र पर मालिकाना हित और नियंत्रण होगा;*

(घ) ***"विशेष प्रयोजन साधन"*** *का अर्थ किसी उत्पादक स्टेशन का स्वामित्व रखने, प्रचालित करने और अनुरक्षण करने वाला कानूनी संगठन होगा और इस कानूनी संगठन द्वारा कोई अन्य व्यवसाय अथवा कार्यकलाप नहीं किया जाएगा ।*

1.6 यदि किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत, उपरोक्त उल्लेखित विद्युत नियम, 2005 की शर्तों की तुष्टि नहीं की जाती हो तो ऐसी दशा में विद्युत नियम, 2005 (उपरोक्तानुसार उद्धरित) के अनुच्छेद 3 (2) के अनुसार, वर्ष के दौरान सम्पूर्ण विद्युत मात्रा (कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित की गई) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा की गई खपत को इस प्रकार मान्य किया जावेगा जैसी कि वह उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय की गई है तथा वह खुली पहुंच उपभोक्ता से समस्त प्रभारों सहित वसूली की जाने योग्य होगी । ऐसी किसी परिस्थिति में, कैप्टिव प्रयोक्ता को आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा यदि वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये दावे से संतुष्ट न होवे ।

अध्याय दो :

ग्रिड से अर्न्त–संयोजन होने की दशा में सामान्य तथा तकनीकी शर्तें

2.1 कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा समर्पित पारेषण/वितरण लाईनों व उपकेन्द्रों की स्थापना, प्रचालन तथा संधारण, प्राधिकरण अथवा राज्य पारेषण इकाई अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी, सुरक्षा तथा ग्रिड मानकों के अनुसार किया जावेगा ।

2.2 अधिनियम की धारा 9 के उपबंध के अनुसार, किसी कैप्टिव विद्युत संयंत्र का ग्रिड के माध्यम से विद्युत प्रदाय का नियंत्रण उसी प्रकार किया जावेगा जैसा कि वह किसी उत्पादन कंपनी के उत्पादन स्टेशन द्वारा किया जाता हो । इस प्रयोजन से, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को राज्य भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर – एस. एल. डी. सी.) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा जो कि राज्य में

विद्युत प्रणाली के प्रचालन में एकीकृत ग्रिड प्रचालन के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने बाबत् तथा अधिकतम सुरक्षा, मितव्ययिता तथा दक्षता उपलब्ध कराये जाने हेतु अत्यावश्यक हो ।

बशर्ते यह कि यदि विद्युत की गुणवत्ता अथवा राज्य ग्रिड के संरक्षित, सुरक्षित तथा एकीकृत प्रचालन अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न हो तो इसे आयोग को निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जावेगा । तथापि, आयोग के निर्णय की प्रत्याशा में, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का परिपालन करेगा ।

2.3 ग्रिड के साथ समानांतर में संयोजित कैप्टिव विद्युत संयंत्र, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों, जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया हो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नेटवर्क के साथ संयोजीकरण केवल उसी दशा में किया जावेगा जबकि कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्रिड के साथ संयोजन के संबंध में विनिर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं के साथ–साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्य विद्युत निरीक्षक, आदि से समस्त सांविधिक प्रमाणीकरणों की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे । कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक ग्रिड से संयोजीकरण के दौरान सम्पूर्ण अवधि में इस प्रकार प्राप्त किये गये सांविधिक प्रमाणीकरणों को बनाये रखा जावेगा ।

2.4 इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाले समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त प्रभारों तथा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये अन्य प्रभारों का भुगतान किया जावेगा ।

2.5 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा, उत्पादन तथा पारेषण संबंधी समस्त तकनीकी विवरण संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि इन्हें प्राधिकरण अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जावे, प्रस्तुत किया जावेगा ।

2.6 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक उत्पादन संयंत्र से संयोजित किये जाने बाबत् पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क (यदि ये पूर्व से विद्यमान नहीं हैं) हेतु, जैसा कि ये लागू हो, अधोसंरचना प्रदान करेगा । यदि कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को उसके केप्टिव विद्युत संयंत्र से उसके नेटवर्क से संयोजित किये जाने हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अधोसंरचना का निर्माण कराया जाना आवश्यक हो तो इस प्रयोजन हेतु कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को अर्न्तसंयोजन उपकरण तथा संबंद्ध सुविधाएं, उन्हें सम्मिलित कर जो नेटवर्क की सुरक्षा तथा मापयंत्रण (मीटरिंग) हेतु अत्यावश्यक हों, की लागत वहन करना होगी ।

2.7 कैप्टिव विद्युत संयंत्र से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से समकालन (सिक्रोनाइजेशन) की योजना अधीक्षण यंत्री (परीक्षण)/अधीक्षण यंत्री (संचालन तथा संधारण), जैसा कि लागू हो, द्वारा अनुमोदित की जावेगी ।

अध्याय तीन :

एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कैप्टिव विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत की विक्रय शर्तें

3.1 कोई भी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में जहां कि यह संयंत्र स्थित है विद्युत विक्रय हेतु अधिकृत होगा ।

3.2 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक से विद्युत क्रय किये जाने की टैरिफ दर इन विनियमों में किये गये अवधारण के अनुरूप होगी । तथापि, संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इस संबंध में प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये दिशा–निर्देशों का प्रयोग करते हुए किसी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक से मध्यम–कालीन/दीर्घ–कालीन विद्युत उपाप्ति (प्रोक्यूर) का विकल्प विद्यमान होगा । ऐसी दशा में, आयोग इस प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रियानुसार विद्युत क्रय हेतु निर्धारित की गई टैरिफ दर को स्वीकार करेगा ।

3.3 किसी भी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक, जो कि 3 मेगावाट या इससे अधिक निर्यात योग्य विद्युत आधिक्य की क्षमता रखता हो तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अतिरिक्त विद्युत के विक्रय हेतु इच्छुक हो, को ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पी पी ए) करना होगा । इस विद्युत क्रय अनुबंध की न्यूनतम अवधि एक (1) वर्ष होगी तथा तत्पश्चात दोनों अनुज्ञप्तिधारी तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक के विकल्प के अनुसार आगे यह अवधि एक वर्ष या उससे अधिक (परन्तु इससे कम अवधि हेतु नहीं) अवधि हेतु नवीनीकरण योग्य होगी । वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के जारी होने की अवधि के एक माह के भीतर, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारकों के द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने हेतु एक आदर्श विद्युत क्रय अनुबंध आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

3.4 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक जो 3 मेगावाट से कम निश्चित निर्यात–योग्य विद्युत मात्रा के धारक हों, को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय के संबंद्ध क्षेत्र से असंबद्ध बिना किसी विद्युत क्रय अनुबंध की आवश्यकता के, विद्युत विक्रय हेतु अनुमति दी जावेगी । ऐसे समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताओं का प्रतिपालन करेंगे :

(ए) ऐसे समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जिनके अन्तर्गत संयंत्र भौतिक रूप से स्थित है, के साथ उनसे संबंधित विवरणों को पंजीकृत

करेंगे । आवश्यक विवरणों के अभिलेख एकत्रित किये जाने हेतु प्रपत्र संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विकसित किया जावेगा ।

(बी) ऐसे समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारकों को अन्तःक्षेप अनुसूचियां (इन्जेक्शन शेड्यूल्स) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा, केवल ऐसी दशा में जब कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा किसी तृतीय पक्षकार को विद्युत का विक्रय न किया जा रहा हो और/या स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत का चक्रण न किया जा रहा हो । तथापि, यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विक्रय के साथ–साथ चक्रण अथवा तृतीय पक्षकार विक्रय अर्न्तनिहित हो, तो चालू प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचीकरण तथा सन्तुलन तथा व्यवस्थापन के उपबंध ऐसे समय तक लागू किये जावेंगे जब तक कि आयोग द्वारा सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता (बैलेंसिंग एण्ड सेटलमेंट कोड) अधिसूचित नहीं कर दी जाती ।

(सी) ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा अन्तःक्षेपित (इन्जेक्टेड) विद्युत मात्रा का भुगतान मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–26, वर्ष 2005) दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 में परिभाषित आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) से संबद्ध गैर अनुसूचित अदला–बदली (यू.आई.) दरों के अनुसार किया जावेगा । इस प्रकार से देय भुगतान, अन्तःक्षेप के समय सुसंगत गैर–अनुसूचित अदला–बदली दर के 2/3 भाग के अध्यधीन सीमित होगा ।

(डी) ऐसे समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारकों को मुख्य तथा जांच विशेष ऊर्जा मापयंत्र (मीटर) जो कि सक्रिया तथा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा (एक्टिव एण्ड रिएक्टिव एनर्जी) के समय–बद्ध परिभेदित (डिफ्रेंशियेटेड) मापन (15 मिनट के अन्तराल वाले) हेतु सक्षम होंगे, अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ई) अन्तःक्षेपित ऊर्जा लेखांकन तथा भुगतान हेतु, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के प्रदाय क्षेत्र से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी दोनों मुख्य तथा जांच मापयंत्रों से बिलिंग माह की समाप्ति से 5 दिवस के भीतर अपरिष्कृत (रॉ) इलेक्ट्रानिक आंकड़े (जिसे कि मापयंत्र वाचन उपकरण से डाऊनलोड किया जावेगा) प्राप्त करेगा । मापयंत्र वाचन के समय कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(एफ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लेखांकन हेतु विक्रित अन्तःक्षेपित वास्तविक विद्युत मात्रा का निर्धारण कुल अन्तःक्षेपित विद्युत की मात्रा में से अन्तःक्षेप हेतु स्व–उपयोग की मात्रा (केवल ऐसी दशा में जबकि कैप्टिव विद्युत संयंत्र का स्व–उपयोग स्थल उसके स्थापना स्थल से भिन्न हो चूंकि परिसर के भीतर अर्न्तमख मापयंत्र द्वारा यह किसी भी दशा में अभिलिखित नहीं की जावेगी) तथा तृतीय पक्षकार विक्रय, यदि ये लागू हों, के कारण विद्युत मात्रा को घटा कर किया जावेगा ।

3.5 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारकों हेतु, जिनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत क्रय अनुबंध किया गया हो, विद्युत क्रय अनुबंध में घोषित प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु नियमित विद्युत (फर्म पावर) के बराबर विद्युत मात्रा की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जावेगी :

$$FE = \frac{D * PLF * 1000}{4}$$

जहां कि,

FE = नियमित विद्युत की मात्रा किलोवाट ऑवर (k Wh) में

D = विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार नियमित विद्युत मात्रा की उपलब्धता (मेगावाट में)

PLF = संयंत्र भार कारक (प्लांट लोड फेक्टर), जैसा कि इसके संबंध में विद्युत क्रय अनुबंध में सहमति की गई हो तथा जिसकी न्यूनतम सीमा 70 प्रतिशत होगी ।

उपरोक्त के प्रयोजन हेतु, कैप्टिव विद्युत संयंत्र के संयंत्र भार कारक (उपरोक्तानुसार दर्शाई गई न्यूनतम सीमा के अध्यधीन) के संबंध में कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक तथा संबंद्ध अनुज्ञप्तिधारी के मध्य विद्युत क्रय अनुबंध में आपसी सहमति व्यक्त की जावेगी ।

कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत क्रय की नियमित तथा अनियमित दरें

3.6 नियमित (फर्म) विद्युत की क्रय दर को शीर्ष–समय (पीक–टाईम) तथा अशीर्ष–समय (आफ–पीक टाईम) के दौरान क्रय की गई विद्युत मात्रा के अन्तर्गत विभेदित किया जावेगा । इस प्रयोजन से, शीर्ष–समय किसी दिवस का 1800 से 2200 बजे तक का होगा तथा शेष अवधि को अशीर्ष–समय माना जावेगा ।

3.7 ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारकों हेतु जिनके द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित किया गया हो, शीर्ष समय में नियमित (फर्म) विद्युत की क्रय दर (स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए), अनुज्ञप्तिधारी की भारित औसत दर 5 प्रतिशत शीर्ष कंपनियों की दरों पर विचार करते हुए (तरल ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन तथा नवीनीकरण स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को छोड़कर) के बराबर होगी जिसका अनुमोदन, आयोग द्वारा प्रश्नाधीन वर्ष हेतु, उसके टैरिफ आदेश में किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु, आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश में यह दर रू. 2.65 प्रति यूनिट अनुमोदित की गई है । कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा अशीर्ष–समय में अन्तःक्षेपित विद्युत दर का भुगतान, शीर्ष–समय में विद्युत क्रय दर से 15 प्रतिशत कम दर पर किया जावेगा । इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु यह दर रू. 2.30 प्रति यूनिट अर्थात् (2.65 / 1.15) होगी ।

3.8 अनियमित (इन्फर्म) विद्युत हेतु विद्युत क्रय की दर, दोनों शीर्ष तथा अशीर्ष समयों हेतु नियमित विद्युत दर की विनिर्दिष्ट दर का 80 प्रतिशत होगी । इस प्रकार, वित्तीय वर्ष

2006–07 हेतु, अनियमित विद्युत दर शीर्ष समय के दौरान रू. 2.12 प्रति यूनिट (रू. 2.65 का 80 प्रतिशत), तथा अशीर्ष समय के अन्तर्गत रू. 1.84 प्रति यूनिट (रू. 2.30 प्रति यूनिट का 80 प्रतिशत) होगी ।

3.9 प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का मापन वितरण अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र के अर्न्तमुख बिन्दु (इन्टरफेस पाईंट) पर यथास्थिति लागू किया जावेगा । समकालन विच्छेदक (सिंक्रोनाईजिंग ब्रेकर) के सी.टी. (करन्ट ट्रांसफार्मर) को, इस प्रयोजन हेतु, वाणिज्यिक अर्न्तमुख माना जावेगा ।

अनुसूचीकरण, सन्तुलन तथा व्यवस्थापन :

3.10 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारकों को मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता दिनांक 6 अगस्त, 2004 की धारा 8 तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार अन्तःक्षेप अनुसूचियां प्रस्तुत करनी होंगी ।

बशर्ते यह कि ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र पर अनुसूचीकरण व सन्तुलन तथा व्यवस्थापन के उपयुक्त उपबंध मध्यप्रदेश राज्य में राज्यीय उपलब्धता आधारित टैरिफ (Availability Based Tariff-ABT) लागू होने पर तत्काल प्रभाव से उन पर बन्धनकारी होंगे ।

3.11 माने गये (डीम्ड) विद्युत उत्पादन हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया जावेगा एवं नियमित तथा अनियमित विद्युत प्रदाय बाबत् समस्त भुगतान निम्न दर्शाई गई विधि द्वारा की गई गणना के अनुसार किये जावेंगे :

(अ) चरण–1 : नियमित विद्युत के समतुल्य, प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु, ऊर्जा की गणना विद्युत क्रय अनुबंध में घोषित, मेगावाट में, अनुच्छेद 3.5 के अनुसार की जावेगी ।

(ब) चरण–2 : किसी बिलिंग–चक्र के अन्त में, अर्न्तमुख मापयंत्रों से डाऊनलोड किये गये अपरिष्कृत आंकड़े का प्रयोग वास्तविक उत्पादित ऊर्जा की गणना हेतु एक 15–मिनट समय–खण्ड–वार आधार पर किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित की गई वास्तविक ऊर्जा का अवधारण तृतीय पक्षकार अंशदान तथा स्वयं के उपभोक्ताओं को आवंटित ऊर्जा की मात्रा, यदि कोई लागू हो, को कुल सकल निर्यात की गई ऊर्जा, जो कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर में अभिलिखित की गई हो, में से घटाकर किया जावेगा।

(स) चरण–3 : नियमित तथा अनियमित विद्युत के संबंध में भुगतान का निपटान : इसका निपटान बिलिंग–चक्र के अन्त में 15–मिनट आधार पर अन्तःक्षेप की गई ऊर्जा के अनुसार किया जावेगा । इसकी गणना निम्न सारणी के अनुसार की जावेगी (संक्षेपिकायें को सारणी के नीचे स्पष्ट किया गया है) :

यदि,	तो ऐसी दशा में,
$TE_{Act} > FE$	वास्तविक रूप से अन्तःक्षेपित समस्त ऊर्जा (TE_{Act}) का भुगतान ''नियमित (Firm) दरों'' पर किया जावेगा ।
$TE_{Act} < FE$	जब तक कि वास्तविक अन्तःक्षेपित ऊर्जा घोषित FE के 90 प्रतिशत से अधिक अथवा उसके बराबर है, समस्त अन्तःक्षेपित ऊर्जा का भुगतान ''नियमित दरों'' पर किया जावेगा । तथापि, यदि, वास्तविक रूप से अन्तःक्षेपित की गई ऊर्जा FE के 90 प्रतिशत से कम हो तो ऐसी दशा में, समस्त अन्तःक्षेपित ऊर्जा का भुगतान ''अनियमित (Infirm) दरों'' पर किया जावेगा ।
$TE_{Act} = FE$	समस्त वास्तविक अन्तःक्षेपित ऊर्जा का भुगतान ''नियमित दरों'' पर किया जावेगा ।

<u>उपरोक्त सारणी के संबंध में :</u>

TE_{Act} से अभिप्रेत है अर्न्तमुख मापयंत्र वाचन के अनुसार 15–मिनट समय–खण्ड में कुल वास्तविक अन्तःक्षेपित की गई ऊर्जा की मात्रा ।

FE : इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है ।

अध्याय चार :

अन्य विषय

वैकल्पिक समर्थन (स्टैंड–बाई सपोर्ट)

4.1 वैकल्पिक समर्थन निम्न प्रकार के कैप्टिव प्रयोक्ताओं (जिन्हें इसके बाद, ''प्रयोक्ता (गण)/प्रयोक्तायों कहा गया है) हेतु प्रदान किया जावेगा :

(अ) जहां कि प्रयोक्ता तथा उसका कैप्टिव विद्युत संयंत्र एक ही परिसर में स्थित हैं तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र किसी भी रूप में ग्रिड से संयोजित नहीं हैं (क्योंकि इसे पृथक्कृत इकाई के रूप में प्रचालित किया गया है), अतएव वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं होते हैं ।

(ब) वे प्रयोक्तागण जिनका कैप्टिव विद्युत संयंत्र ग्रिड से संयोजित है परन्तु प्रयोक्ता का प्रयोक्ता के प्रदाय क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग के अतिरिक्त कोई अन्य प्रदाय अनुबंध न हो ।

4.2 वैकल्पिक समर्थन ऐसे किसी उपभोक्ता को अनुज्ञेय नहीं किया जावेगा जो किसी अन्य उत्पादक (जो कैप्टिव न होगा) के साथ प्रदाय संविदा का धारक हो, केवल प्रयोक्ता के ऐसे क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी के साथ की गई संविदा मांग (कांट्रेक्ट डिमाण्ड) को छोड़कर ।

4.3 निम्न सारणी कैप्टिव विद्युत संयंत्रों तथा उसके प्रयोक्ताओं हेतु भार प्रत्येक परिस्थिति में वैकल्पिक समर्थन की प्रयोज्यता के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के संव्यवहारों को दर्शाती है :

भाग	कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रकार/स्थिति	कैप्टिव विद्युत संयंत्र उपभोक्ता की प्रदाय व्यवस्थाएं	वैकल्पिक समर्थन
ए	पृथक्कृत कैप्टिव विद्युत संयंत्र (ग्रिड हेतु भौतिक संयोजन प्रदान किया गया हो, बशर्ते संयंत्र धारक वैकल्पिक समर्थन हेतु अनुरोध करे)	स्वयं के कैप्टिव विद्युत संयंत्र के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है	स्वीकार्य है
बी	कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर में स्थापित है	केवल अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग (कांट्रेक्ट डिमाण्ड) है	स्वीकार्य है
सी	जहां कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर 'अ' में स्थापित है, जबकि प्रयोक्ता परिसर 'ब' में स्थित है	भार की संविदा मांग (कांट्रेक्ट डिमाण्ड) केवल अनुज्ञप्तिधारी के साथ है तथा अन्य कोई प्रदाय व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं	म.प्र. राज्य में संतुलन तथा व्यवस्थापना संहिता के लागू होने पर स्वीकार्य होगा
डी	कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर में स्थापित है	अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग है अन्य प्रदाय व्यवस्थाओं के साथ–साथ तृतीय पक्षकार उत्पादक से उपाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) उपलब्ध है	स्वीकार्य नहीं है
ई	जहां कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर 'अ' में स्थापित है जबकि प्रयोक्ता परिसर 'ब' में स्थित है	अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग है अन्य प्रदाय व्यवस्थाओं के साथ–साथ तृतीय पक्षकार	स्वीकार्य नहीं है

		उत्पादक से उपाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) उपलब्ध है ।	

4.4 वे प्रयोक्तागण, जिन्हें वैकल्पिक समर्थन उपरोक्त सारणी के अनुसार स्वीकार किया गया हो, वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसके प्रदाय क्षेत्र में वैकल्पिक समर्थन हेतु अनुबंध किये जाने का अधिकार रखेंगे । इस हेतु अनुरोध किये जाने पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रयोक्ता को ऐसी सुविधा प्रदान किये जाने हेतु अनुगृहीत होंगे ।

4.5 इन विनियमों की अधिसूचना तिथि को, मध्यप्रदेश राज्य में विद्यमान ऐसे प्रयोक्तागण जिन्हें वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता हो, वे प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से 30 दिवस के भीतर इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे । वैकल्पिक समर्थन प्राप्ति के इच्छुक भावी प्रयोक्तागण इस संबंध में अपनी सहमति संयोजन/खुली पहुंच के आवेदन के समय अभिव्यक्त करेंगे ।

4.6 वैकल्पिक समर्थन के प्रयोजन से, ऐसे समर्थन की प्राप्ति हेतु ऐसे प्रयोक्ता को, यथा स्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से परस्पर अनुबंध करना होगा । इस प्रयोजन हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इन विनियमों की अधिसूचना से एक (1) माह के भीतर, एक आदर्श अनुबंध प्रपत्र तैयार कर, इसे आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।

4.7 प्रयोक्ता संविदाकृत वैकल्पिक समर्थन मांग से अधिक वैकल्पिक समर्थन मांग का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

4.8 विनियमों की निम्नलिखित धारायें, उपरोक्त सारणी में प्रत्येक ''भाग'' अथवा संव्यवहार प्रकार के प्रयोजन से अनुज्ञप्तिधारी से स्वीकार किये गये वैकल्पिक समर्थन के प्रावधान की (अर्थात् भाग 'ए', 'बी', 'सी') शर्तों का विवरण दर्शाती हैं ।

भाग अ :

वैकल्पिक समर्थन की प्राप्ति हेतु शर्तें

4.9 ऐसे प्रयोक्तागण, यदि उन्हें वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता हो, उन्हें स्वयं के द्वारा ग्रिड से संयोजित किया जाना आवश्यक होगा तथा उन्हें अन्तः–संयोजन अधोसंरचना हेतु अनुच्छेद 2.6 में उल्लिखित उपयुक्त प्रभारों का भुगतान करना होगा । ग्रिड छोर पर अन्तः–संयोजित विच्छेदक (ब्रेकर) को खुला रखा जावेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसी दशा में प्रभारित (चार्जड) किया जावेगा जबकि प्रयोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता के संबंध में निम्न दर्शाये अनुच्छेद 4.10 के उपबंध के अनुसार अधिसूचित कर दिया जावे ।

4.10 ऐसे प्रयोक्तागण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता के संबंध में अधिसूचित करेंगे । वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अर्न्तसंयोजन लाईन को प्रभारित करने का दायित्व तथा उसके द्वारा प्रयोक्ता को ऐसी प्राप्त की गई अधिसूचना से दो घंटे के भीतर उसे सूचित किये जाने का उत्तरदायित्व होगा । जैसे ही प्रयोक्ता की वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता समाप्त हो जाय, वह पुनः इसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को इस बारे में अधिसूचित करेगा । इस प्रकार की अधिसूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी ग्रिड के छोर पर अर्न्तसंयोजित विच्छेदक को पुनः खोलेगा ।

4.11 अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोक्ता की अधिसूचना उस वैकल्पिक समर्थन की मांग की मात्रा प्रकट करेगी जो कि प्रयोक्ता कुल वैकल्पिक समर्थन संविदा मांग दैनिक अनुसूचीकरण के प्रयोजन से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मांगपत्र के बतौर प्रस्तुत करना चाहे ।

4.12 बिलिंग के प्रयोजन से, वैकल्पिक समर्थन हेतु कुल अवधि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोक्ता को वैकल्पिक समर्थन की उपलब्धता अधिसूचित करने के समय से उस समय तक, जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोक्ता से यह अधिसूचना प्राप्त करने पर कि वैकल्पिक समर्थन की अब और आगे इसकी आवश्यकता न होगी, मानी जावेगी ।

4.13 प्रयोक्ता से प्राप्त अधिसूचना संबंधित वृत्त कार्यालय के अधीक्षण यंत्री (वाणिज्यिक) अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामांकित किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जावेगी । इन अधिसूचनाओं के प्रेषण तथा अभिस्वीकृति संबंधी विस्तृत प्रक्रिया अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रयोक्ता द्वारा परस्पर तैयार की जावेगी तथा इसका वैकल्पिक समर्थन संविदा में अभिकथन किया जावेगा ।

4.14 प्रयोक्ता द्वारा वैकल्पिक समर्थन की मांग एक वित्तीय वर्ष में 5 से अधिक बार नहीं की जावेगी, जो कि एक बिलिंग माह में एक से अधिक बार न किये जाने के अध्यधीन होगी।

वैकल्पिक समर्थन हेतु प्रभार :

4.15 ऐसे प्रयोक्ताओं के संबंध में, अधिकतम मांग, जिसे वैकल्पिक समर्थन हेतु संविदाकृत किया जा सकता है, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक की समस्त उत्पादन इकाईयों की कुल निर्धारित क्षमता से अधिक न होगी ।

4.16 जहां कहीं भी वैकल्पिक समर्थन हेतु एक समझौता प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य उसके प्रदाय क्षेत्र के संबंध में विद्यमान हो, प्रयोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वैकल्पिक समर्थन के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदाकृत की गई क्षमता हेतु प्रयुक्त रू. 20 प्रति केवीए प्रतिमाह की दर से एक स्थाई प्रभार का भुगतान करना होगा ।

बशर्ते यह कि उपरोक्त उल्लिखित प्रभार प्रति माह समान रूप से लागू होंगे, भले ही प्रयोक्ता वैकल्पिक समर्थन का लाभ ले या न ले ।

4.17 उपरोक्त दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, प्रयोक्ता को वैकल्पिक समर्थन हेतु उपभोग की गई विद्युत मात्रा के संबंध में ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों को निम्नानुसार वहन करना होगा :

एक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत	दर
750 घंटे की अवधि तक उपयोग में लाया गया वैकल्पिक समर्थन	नियमित उपभोक्ताओं को प्रभावशील तथा प्रयोज्य ऊर्जा तथा मांग प्रभारों के समतुल्य
750 घंटे से अधिक तथा 1000 घंटे तक की अवधि तक उपयोग में लाया गया वैकल्पिक समर्थन	प्रथम 750 घंटे की अवधि हेतु, प्रभावशील तथा प्रयोज्य ऊर्जा तथा मांग प्रभार, तथा तत्पश्चात् 1000 घंटे तक की अवशेष अवधि हेतु प्रभावशील तथा प्रयोज्य ऊर्जा तथा मांग प्रभार का 1.1 गुना
1000 घंटे से अधिक की अवधि तक उपयोग में लाया गया वैकल्पिक समर्थन	प्रथम 750 घंटे हेतु प्रभावशील तथा प्रयोज्य ऊर्जा तथा मांग प्रभार, तत्पश्चात 1000 घंटे तक की अवधि हेतु प्रभावशील तथा प्रयोज्य ऊर्जा तथा मांग प्रभार का 1.1 गुना और 1000 घंटों के उपरांत उपभोग की गई विद्युत मात्रा पर अस्थाई टैरिफ दर*

* अस्थाई टैरिफ दर वही होगी जो कि आयोग द्वारा उच्च–दाब श्रेणियों हेतु समय–समय पर उसके टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित की जावेगी ।

4.18 उपरोक्त के प्रयोजन हेतु, मांग तथा ऊर्जा प्रभारों की प्रयोज्य दरों का अवधारण निम्न विधि द्वारा किया जावेगा :

$$DC_{stand\text{-}by} = \frac{DC_{approved}}{\Sigma T} * T$$

जो कि मांग प्रभारों के न्यूनतम 40 प्रतिशत मांग प्रभार ($DC_{\text{stand-by}}$) के अध्यधीन कैप्टिव विद्युत संयंत्र की संबद्ध श्रेणी को प्रयोज्य होगा, यदि वह अनुज्ञप्तिधारी का सामान्य उच्च दाब श्रेणी का उपभोक्ता होता

$$EC_{\text{stand-by}} = EC_{\text{approved}}$$

जहां कि,

$DC_{\text{stand-by}}$ = मांग प्रभार जो उपभोग की गई केवीए मांग पर, वैकल्पिक समर्थन के दौरान, प्रयोज्य है

DC_{approved} = आयोग के प्रभावशील टैरिफ आदेश द्वारा सुसंगत उपभोक्ता श्रेणी हेतु अनुमोदित मांग प्रभार

ΣT = माह के अन्तर्गत 15–मिनट के समय–खण्डों की संख्या, जिस समय व्यवस्थापन संपन्न किया जावे

T =15–मिनट के समय–खण्डों की संख्या, जिन हेतु प्रयोक्ता द्वारा वैकल्पिक समर्थन का प्रयोग किया गया है तथा जिसे अनुच्छेद 4.12 के अनुसार अवधारित किया गया है

$EC_{stand\text{-}by}$ = वैकल्पिक समर्थन हेतु प्रयोज्य ऊर्जा प्रभार रूपये/यूनिट में

$EC_{approved}$ = आयोग के प्रभावशील टैरिफ आदेश के अन्तर्गत सुसंगत उपभोक्ता श्रेणी हेतु अनुमोदित मांग प्रभार

4.19 अनुच्छेद 4.18 के अनुसार की गई मांग प्रभारों की गणना को वैकल्पिक समर्थन की अवधि के दौरान समस्त समय–खण्डों के अन्तर्गत संविदाकृत मांग पर लागू किया जावेगा तथा ऊर्जा प्रभारों को वैकल्पिक समर्थन की अवधि के दौरान समस्त समय खण्डों के अन्तर्गत लागू किया जावेगा जिस हेतु अवधि का निर्धारण अनुच्छेद 4.12 द्वारा किया जाता है ।

4.20 यदि कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर में अभिलिखित उच्चतम मांग वैकल्पिक समर्थन की संविदाकृत मांग से अधिक हो तो अधिक अभिलिखित मांग को अनुच्छेद 4.18 के अनुसार मांग प्रभारों हेतु की गई गणना राशि से दोगुनी दर पर बिलिंग कर देयक प्रस्तुत किया जावेगा ।

4.21 प्रयोक्ता द्वारा उपभोग किये गये वैकल्पिक समर्थन को छूटों, प्रोत्साहनों तथा अर्थदण्डों को अधिरोपित किये जाने की पात्रता होगी जिसका अनुमोदन आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश में खुदरा विद्युत प्रदाय उपभोक्ताओं हेतु किया गया हो, केवल उसी दशा में, जबकि वैकल्पिक समर्थन का लाभ मासिक बिलिंग–चक्र की निरंतर अवधि हेतु प्राप्त किया गया हो ।

4.22 ऐसे प्रयोक्ताओं हेतु वैकल्पिक समर्थन की अवधि के दौरान उपभोग की गई विद्युत हेतु कोई न्यूनतम ऊर्जा प्रभार लागू न होंगे ।

टीप – वैकल्पिक समर्थन हेतु उदग्रहण का एक निदर्शी उदाहरण परिशिष्ट–एक में दिया गया है।

भाग – ब

वैकल्पिक समर्थन की प्राप्ति हेतु शर्तें

4.23 एक प्रयोक्ता उसके प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके स्वयं के वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता के संबंध में दो (2) घंटे पूर्व, जिस हेतु कैप्टिव उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्ति का इच्छुक हो, अधिसूचित करेगा । प्रयोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके कैप्टिव विद्युत संयंत्र के बन्द होने की तिथि तथा समय से

अवगत करायेगा । जैसे ही प्रयोक्ता का कैप्टिव विद्युत संयंत्र पुनः अपना कार्य आरंभ कर देता है तो प्रयोक्ता एक (1) घंटे के भीतर यथोचित यह दर्शाते हुए कि संयंत्र ने किस वास्तविक तिथि तथा समय से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इस बाबत् अधिसूचित करेगा । वैकल्पिक समर्थन हेतु कुल अवधि की गणना तद्नुसार की जावेगी ।

बशर्ते यह कि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई वैकल्पिक समर्थन की दोनों, प्रारंभिक तथा समाप्ति अवधि की वास्तविक दिनांक तथा समय का कैप्टिव विद्युत संयंत्र/कैप्टिव प्रयोक्ता के परिसर में मापयंत्र वाचन (मीटर रीडिंग) तथा अन्य अभिलेखों से, जैसा कि वे आवश्यक हों, सत्यापन कर सकेगा ।

4.24 किसी प्रयोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित अधिसूचना उसके स्वयं की उस आकस्मिक मांग की मात्रा प्रकट करेगी जो कि उपभोक्ता उसकी कुल वैकल्पिक संविदाकृत मांग के विरूद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी से दैनिक अनुसूचीकरण के प्रयोजन से मांग किये जाने के प्रति इच्छुक हो ।

4.25 किसी प्रयोक्ता से प्राप्त अधिसूचना संबंधित वृत्त कार्यालय के अधीक्षण यंत्री (वाणिज्यिक) अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामांकित किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जावेगी । इन अधिसूचनाओं के प्रेषण तथा अभिस्वीकृति संबंधी विस्तृत प्रक्रिया अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रयोक्ता द्वारा परस्पर तैयार की जावेगी तथा इसका वैकल्पिक समर्थन संविदा में अभिकथन किया जावेगा ।

4.26 प्रयोक्ता वैकल्पिक समर्थन की मांग का उपयोग एक वित्तीय वर्ष में 5 से अधिक बार नहीं कर सकेगा जो कि किसी एक बिलिंग माह में एक से अधिक बार न किये जाने के अध्यधीन होगा ।

वैकल्पिक समर्थन हेतु प्रभारों की गणना

4.27 अधिकतम मांग जिसे कि वैकल्पिक समर्थन के अन्तर्गत संविदाकृत किया जा सकता है, किसी प्रयोक्ता की समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रयोक्ता की समस्त उत्पादन इकाईयों की कुल निर्धारित क्षमता से अधिक न होगी ।

4.28 जहां कहीं भी वैकल्पिक समर्थन हेतु एक समझौता प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य उसके प्रदाय क्षेत्र के संबंध में विद्यमान हो, प्रयोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वैकल्पिक समर्थन के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदाकृत की गई क्षमता हेतु प्रयुक्त रू. 20 प्रति केवीए प्रतिमाह की दर से एक स्थाई प्रभार का भुगतान करना होगा ।

बशर्ते यह कि उपरोक्त उल्लिखित प्रभार प्रति माह समान रूप से लागू होंगे, भले ही कैप्टिव उपभोक्ता वैकल्पिक समर्थन का लाभ ले अथवा न ले ।

4.29 वैकल्पिक समर्थन प्रभारों हेतु बिलिंग निम्न विधि द्वारा की जावेगी :

माह हेतु विवरण	माह हेतु प्रभारों की/बिलिंग की/बिलिंग शर्तें
वैकल्पिक समर्थन की वह अवधि, जो माह में प्रयोज्य नहीं है	संविदाकृत वैकल्पिक समर्थन मांग पर रू. 20 प्रति केवीए की दर से वैकल्पिक समर्थन के प्रभार लागू होंगे आयोग द्वारा समय–समय पर प्रभावशील टैरिफ आदेश के अनुसार मांग तथा उपभोग की गई विद्युत मात्रा हेतु मांग तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग (समस्त छूटों, न्यूनतम प्रभारों, भार कारक प्रोत्साहनों, आदि को सम्मिलित करते हुए) की जावेगी
वैकल्पिक समर्थन की वह अवधि, जो माह की पूर्ण अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु प्रयोज्य है **टीप :** वैकल्पिक समर्थन अवधि को उसी शर्त पर प्रयोज्य माना जावेगा, यदि ये अनुच्छेद 4.26 तथा 4.33 की वैकल्पिक समर्थन अवधियों की वैधता संबधी शर्तों की तुष्टि करती हो	संविदा मांग (CD) को दाण्डिक प्रभारों के अवधारण के प्रयोजन से CD+STBY-CD पुनरीक्षित किया गया माना जावेगा संविदाकृत वैकल्पिक समर्थन मांग पर रू. 20 प्रति केवीए की दर से वैकल्पिक समर्थन के प्रभार लागू होंगे संविदा मांग (CD) पर सामान्य मांग प्रभार*, परिसर में वास्तविक अभिलिखित मांग से असंबद्ध, लागू होंगे STBY-CD पर पूर्व निर्धारित सामान्य मांग प्रभार (केवल आकस्मिक अवधि के अन्तर्गत समय–खण्डों हेतु ही प्रयोज्य), परिसर पर वास्तविक अभिलिखित मांग से असंबद्ध, लागू होंगे अतिरिक्त मांग पर, अतिरिक्त भार प्रभार* यदि कोई हों, CD + STBY - CD पर लागू होंगे वास्तविक ऊर्जा उपभोग पर ऊर्जा प्रभार* लागू होंगे

* जैसा कि आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में इनका अनुमोदन किया जावेगा ।

उपरोक्त के प्रयोजन से, CD से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र संबंधी प्रयोक्ता की संविदा मांग तथा STBY-CD से अभिप्रेत है प्रयोक्ता द्वारा वैकल्पिक समर्थन अवधि में संविदाकृत की गई वैकल्पिक समर्थन की मांग ।

4.30 वैकल्पिक समर्थन प्रभारों का उदग्रहण किये जाने संबंधी एक निदर्शी उदाहरण परिशिष्ट – दो में दिया गया है ।

4.31 किसी प्रयोक्ता द्वारा उपभोग किये गये वैकल्पिक समर्थन को छूटों, प्रोत्साहनों तथा अर्थदण्डों की पात्रता होगी जिसका अनुमोदन आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश में खुदरा विद्युत प्रदाय उपभोक्ताओं हेतु किया गया हो, केवल उसी दशा में जबकि वैकल्पिक समर्थन का लाभ मासिक बिलिंग–चक्र की निरंतर अवधि हेतु प्राप्त किया गया हो ।

4.32 वैकल्पिक समर्थन की संविदाकृत मांग पर न्यूनतम ऊर्जा प्रभार लागू न होंगे ।

4.33 किसी प्रयोक्ता के संबंध में, समस्त वैकल्पिक समर्थन की अवधियों हेतु कुल समय–अवधि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, 1000 घंटों से अधिक न होगी । जब तक कि वैकल्पिक समर्थन की अवधि इन सीमाओं के अर्न्तगत है, उपरोक्त दर्शाये गये प्रभार लागू रहेंगे तथा तत्पश्चात यदि प्रयोक्ता का कैप्टिव विद्युत संयंत्र का असफल रहना अथवा बन्द होना जारी रहे तो, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत को आयोग द्वारा उसके द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट अस्थाई टैरिफ दर के अनुसार प्रभारित किया जावेगा ।

बशर्ते यह कि, ऐसी दशा में जहां प्रयोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके कैप्टिव विद्युत संयंत्र की असफलता अथवा बन्द होने के संबंध में अनुच्छेद 4.23 के अनुसार अधिसूचित नहीं किया गया हो, अधिसूचना के समय तक प्रयोक्ता परिसर में अभिलिखित की गई समस्त मांग को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई माना जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी सामान्य मांग, अतिरिक्त मांग तथा विद्युत उपभोग की बिलिंग, आयोग द्वारा उसके समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में अनुमोदित रीति के अनुसार करेगा ।

भाग स :

वैकल्पिक समर्थन की प्राप्ति हेतु शर्तें

4.34 आयोग द्वारा ऐसे प्रयोक्ताओं हेतु वैकल्पिक समर्थन की सुविधा, मध्यप्रदेश राज्य में संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता लागू किये जाने पर उपलब्ध कराई जावेगी । आयोग संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता की अधिसूचना के साथ ऐसे प्रयोक्ताओं द्वारा वैकल्पिक समर्थन की मांग हेतु शर्तें अधिसूचित करेगा ।

मापयंत्रण (मीटरिंग), मापयंत्र वाचन (मीटर रीडिंग) तथा विद्युत देयक तैयार करने संबंधी विषय

4.35 कैप्टिव विद्युत संयंत्र के धारक कैप्टिव प्रयोक्तागण जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में विद्युत विक्रय अथवा अनुज्ञप्तिधारी से वैकल्पिक समर्थन चाहे, उन्हें उनके परिसर में मुख्य तथा जांच विशेष ऊर्जा मापयंत्र अधिष्ठापित किये जाना अनिवार्य होंगे जो कि सक्रिय तथा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा (एक्टिव तथा रिएक्टिव एनर्जी) समय विभेदित मापन (15 मिनट अन्तराल वाले) हेतु सक्षम होंगे । इन विनियमों के अनुसार

वैकल्पिक समर्थन की अर्हता रखने वाले कैप्टिव प्रयोक्ताओं से प्राप्त किये गये अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यवाही, कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा, उनके परिसर में वांछित मापयंत्रों के अधिष्ठापन किये जाने के उपरान्त ही की जावेगी ।

4.36 कैप्टिव विद्युत संयंत्र के अर्न्तमुख बिन्दु पर मापयंत्र वाचन, ऊर्जा लेखांकन तथा प्रभारों के निपटान का उत्तरदायित्व संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी का होगा जिसके प्रदाय क्षेत्र में यह कैप्टिव विद्युत संयंत्र अवस्थित है । इन विनियमों के अन्तर्गत भाग–स में निहित कैप्टिव प्रयोक्ताओं के प्रकरणों में, मापयंत्र वाचन, ऊर्जा लेखांकन तथा प्रभारों के निपटान हेतु अर्न्तनिहित इकाईयों तथा उनके वैयक्तिक उत्तरदायित्व संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता के उपबंधों के अनुसार होंगे ।

4.37 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की गई विद्युत का बीजक (इन्वाइस) कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा अर्न्तमुख बिन्दु पर मापयंत्र वाचन के आधार पर मापयंत्र वाचन के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा । संबंधित अनुज्ञप्तिधारी बीजक के विरूद्ध उसमें दर्शाई गई अवधि के भीतर उसके उच्च दाब उपभोक्ताओं से भुगतान की वसूली हेतु भुगतान किये जाने बाबत् उत्तरदायी होगा । कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को समय अवधि के भीतर भुगतान किये जाने पर देयक राशि पर 1.25 प्रतिशत की दर से छूट प्रदान करेगा तथा देयक का भुगतान विलंब से किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाया राशि पर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से अधिभार देय होगा ।

4.38 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक जिसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ एक विद्युत क्रय अनुबंध किया गया हो, के पास एक परिक्रामी स्व–संपूर्ति साख पत्र (revolving self replenishing Letter of Credit) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का विकल्प होगा जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल बिल की गई राशि का 1/12 वां भाग कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक के पक्ष में देय होगा । किसी नये कैप्टिव विद्युत संयंत्र हेतु इस राशि की प्राप्ति चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत प्रदाय की प्रस्तावित मात्रा के 1/12 वें भाग पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दर पर की जा सकेगी । कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को इस साख पत्र को प्रारंभ करने तथा संधारण पर आने वाली लागत को वहन करना होगा ।

कठिनाईयां दूर करने की विद्युत :

4.39 इन विनियमों के उपबन्धों को दूर करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कृत्य करने या दायित्व स्वीकार करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के विचार में कठिनाईयां दूर करने में आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

संशोधन के अधिकार

4.40 आयोग किसी भी समय इन विनियमों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा । यदि इन विनियमों में सम्मिलित किये गये कतिपय उपबंधों में स्पष्टीकरण की आवश्कता हो तो ऐसा स्पष्टीकरण चाहने वाला संबंधित व्यक्ति आयोग से संपर्क कर सकेगा ।

व्यावृत्ति :

4.41 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित विद्युतयों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

4.42 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के प्रावधानों से अन्यथा हो ।

4.43 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जैसे वह उचित समझे, निवर्तित कर सकेगा ।

टीप : इस ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, 2006 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा,
उप सचिव

परिशिष्ट – एक

पृथक्कृत कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (आईलेंडिड) (भाग अ) के वैकल्पिक समर्थन प्रभारों की बिलिंग हेतु एक निदर्शी उदाहरण :

- कैप्टिव प्रयोक्ता, जिसकी, संविदाकृत वैकल्पिक समर्थन की मात्रा है = 20 एमवीए, पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी से
- इन विनियमों में दर्शाई गई अधिसूचना प्रक्रियानुसार, वास्तविक वैकल्पिक समर्थन अवधि की गणना 4000 समय–खण्ड (प्रत्येक 15 मिनट अवधि के, अर्थात् 1000 घंटे) की गई है जो कि दो लेखा माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 2006 में विस्तारित हैं जिसका माह सितम्बर 06 का अंश 600 घंटे तथा शेष अक्टूबर 06 में 400 घंटे का है ।
- माना कि, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में मांग प्रभार = रू. 200 प्रति केवीए प्रतिमाह, उक्त उपभोक्ता श्रेणी का है, जिससे कैप्टिव प्रयोक्ता संबंधित है, यदि वह अनुज्ञप्तिधारी का सामान्य उच्च–दाब श्रेणी उपभोक्ता हो
- माना कि, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार ऊर्जा प्रभार, रू. 3.30 प्रति यूनिट, उक्त उपभोक्ता श्रेणी का है, जिससे कैप्टिव प्रयोक्ता संबंधित है, यदि वह अनुज्ञप्तिधारी का सामान्य उच्च दाब श्रेणी का उपभोक्ता हो

<u>माह सितम्बर 06 हेतु निपटान (सेटलमेंट)</u>

(माह के अन्तर्गत कुल समय–खण्डों की संख्या = 2880, क्योंकि इस माह में 30 दिवस होंगे)

वैकल्पिक समर्थन अवधि के 600 घंटों के अन्तर्गत अभिलिखित उच्चतम मांग = 25 एमवीए

वैकल्पिक समर्थन अवधि के अर्न्तगत उपभोग की गई अतिरिक्त मांग = 5 एमवीए

माह सितम्बर 06 में वैकल्पिक समर्थन अवधि के अन्तर्गत उपभोग की गई विद्युत की मात्रा = 80 लाख यूनिट (L.U.)

वैकल्पिक समर्थन अवधि के अर्न्तगत प्रयोज्य मांग तथा ऊर्जा प्रभार =

$$DC_{\text{stand-by}} = \frac{200}{2880} * 2400 = \text{रू. } 166.67 \text{ प्रति केवीए}$$

(600 घंटे = 600 * 4 = 2400 समय–खण्ड)

$EC_{\text{stand by}}$ = रू. 3.30 प्रति यूनिट

वैकल्पिक समर्थन के सामान्य मांग प्रभार = रू. 166.67 प्रति केवीए* 20 एमवीए=रू. 33.33 लाख

वैकल्पिक समर्थन के आधिक्य मांग प्रभार = रू. 166.67 प्रति केवीए * 2 * 5 एमवीए = रू. 16.67 लाख

वैकल्पिक समर्थन के ऊर्जा प्रभार = रू. 3.30 प्रति यूनिट * 80 लाख यूनिट = रू 264 लाख

माह सितम्बर 2006 के दौरान वैकल्पिक समर्थन हेतु कुल देयक राशि (स्थाई वैकल्पिक समर्थन

प्रभार दर रू. 20 प्रति केवीए को सम्मिलित न करते हुए) = रू. 3.14 करोड़

<u>माह अक्टूबर 2006 हेतु निपटान (सेटलमेंट) :</u>

(माह के अन्तर्गत कुल समय खण्डों की संख्या = 2976, क्योंकि इस माह में 31 दिवस होंगे)

वैकल्पिक समर्थन अवधि के अन्तर्गत प्रथम 150 घंटों हेतु अभिलिखित उच्चतम मांग = 15 एमवीए

वैकल्पिक समर्थन अवधि के अन्तर्गत शेष 250 घंटो हेतु अभिलिखित उच्चतम मांग = 18 एमवीए

अर्न्तमुख मापयंत्र (इन्टरफेस मीटर) में किये मापन के अनुसार, माह अक्टूबर 06 में प्रथम 150 घंटों में उपभोग की गई विद्युत की मात्रा = 14.17 लाख यूनिट (L.U.) तथा शेष 250 घंटो की अवधि में उपभोग की गई विद्युत की मात्रा = 23.62 लाख यूनिट (L.U.)

वैकल्पिक समर्थन अवधि के *अन्तर्गत प्रयोज्य मांग तथा ऊर्जा प्रभार* =

$$DC_{stand\text{-}by} = \frac{200}{2976} * 600 = \text{रू. 40.32 प्रति केवीए}$$

*(150 घंटे = 150 * 4 = 600 समय–खण्ड)*

मांग प्रभारों का 40 प्रतिशत = रू. 80 प्रति केवीए जो कि उपरोक्त की गई गणना रू. 40.32 प्रति केवीए से अधिक है, अतः प्रथम 150 घंटो हेतु $DC_{stand\text{-}by}$ =रू. 80 प्रति केवीए

$$DC_{stand\text{-}by} = \frac{1.1 * 200}{2976} * 1000 = \text{रू. 73.92 प्रति केवीए}$$

*(250 घंटे = 250 * 4 = 1000 समय–खण्ड, 1.1 गुणा प्रभार > 750 घंटे हेतु)*

मांग प्रभार का 40 प्रतिशत = रू. 80 प्रति केवीए जो कि उपरोक्त की गई गणना रू. 73.92 प्रति केवीए से अधिक है, अतः शेष 250 घंटो हेतु $DC_{stand\ by}$ = रू. 80 प्रति केवीए

$EC_{stand\ by}$ = रू. 3.30 प्रति यूनिट

वैकल्पिक समर्थन के सामान्य मांग प्रभार, प्रथम 150 घंटे हेतु = रू. 80 प्रति केवीए * 20 एमवीए = रू. 16 लाख

वैकल्पिक समर्थन के मांग प्रभार, शेष 250 घंटे हेतु = रू. 80 प्रति केवीए * 20 एमवीए = रू. 16 लाख

वैकल्पिक समर्थन के ऊर्जा प्रभार, प्रथम 150 घंटे हेतु = रू. 3.30 प्रति यूनिट * 14.17 लाख यूनिट = रू. 46.76 लाख

वैकल्पिक समर्थन के ऊर्जा प्रभार, शेष 250 घंटे हेतु = रू. 3.30 प्रति यूनिट * 1.1 * 23.62 लाख यूनिट = रू. 85.74 लाख

माह अक्टूबर 06 हेतु कुल देयक राशि (रू. 20/केवीए के स्थाई आकस्मिक प्रभारों को सम्मिलित न करते हुए) = रू. 1.65 करोड़

परिशिष्ट – दो

कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के वैकल्पिक समर्थन प्रभारों की बिलिंग हेतु एक निदर्शी उदाहरण (भाग ब) :–

- एक कैप्टिव प्रयोक्ता, की अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदाकृत मांग (CD) = 5 एमवीए तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ वैकल्पिक समर्थन की संविदाकृत 20 केवीए मांग है ।
- प्रयोक्ता के कैप्टिव विद्युत संयंत्र की निर्धारित क्षमता =30 एमवीए (2*15 एमवीए)
- इन विनियमों में दर्शाई गई अधिसूचना प्रक्रियानुसार, वास्तविक वैकल्पिक समर्थन की अवधि की गणना 4000 समय–खण्ड (प्रत्येक 15 मिनट अवधि के, अर्थात् 1000 घंटे) जो कि दो लेखाकंन

माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 2006 में विस्तारित हैं, जिसका माह सितम्बर, 06 का अंश 600 घंटे तथा शेष अक्टूबर 06 का अंश 400 घंटे का है ।

- माना कि, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में मांग प्रभार = रू. 200 प्रति केवीए प्रतिमाह, उक्त उपभोक्ता श्रेणी का है, जिससे कैप्टिव प्रयोक्ता संबंधित है, यदि वह अनुज्ञप्तिधारी का सामान्य उच्च दाब श्रेणी का उपभोक्ता हो ।
- माना कि, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार ऊर्जा प्रभार, रू. 3.30 प्रति यूनिट, उक्त उपभोक्ता उपभोक्ता श्रेणी का है, जिससे कैप्टिव प्रयोक्ता संबंधित है, यदि वह अनुज्ञप्तिधारी का सामान्य उच्च दाब श्रेणी का उपभोक्ता हो ।

माह सितम्बर 06 हेतु निपटान

(माह के अन्तर्गत कुल समय खण्डों की संख्या = 2880 क्योंकि माह में 30 दिवस होंगे)

अभिलिखित उच्चतम मांग = 30 एमवीए

माह सितम्बर 06 में खपत की गई विद्युत की मात्रा = 80 लाख यूनिट (L.U.)

माह सितम्बर 06 हेतु भार–वक्र (लोड कर्व) निम्नानुसार है :

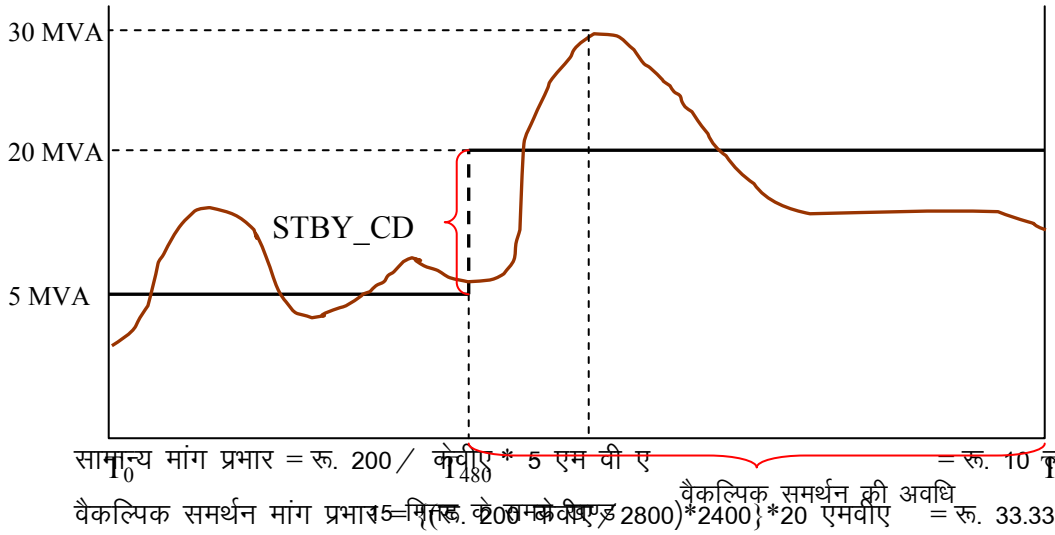

सामान्य मांग प्रभार = रू. 200 / केवीए * 5 एम वी ए = रू. 10 लाख

वैकल्पिक समर्थन मांग प्रभार = 1.5 * {(रू. 200 / केवीए / 2800)*2400}*20 एमवीए = रू. 33.33 लाख

अतिरिक्त मांग = R M D - CD - STBY - CD = 30 - 5 - 20 = 5 एमवीए

अतिरिक्त मांग प्रभार = 1.5 * रू. 200 / केवीए * 5 एमवीए = रू. 15 लाख

ऊर्जा प्रभार = रू. 3.30 / यूनिट * 80 लाख यूनिट = रू. 264 लाख

माह सितम्बर 06 हेतु देयक राशि (रू. 20 / केवीए के स्थाई वैकल्पिक समर्थन के प्रभारों को सम्मिलित न करते हुए) = रू. 3.22 करोड़

माह अक्टूबर, 06 हेतु निपटान (सेटलमेंट) :

(माह के अन्तर्गत कुल समय चक्रों की संख्या = 2976, क्योंकि माह में 31 दिवस होंगे)

अभिलिखित अधिकतम मांग = 25 एमवीए

माह अक्टूबर में विद्युत खपत की मात्रा = 70 लाख यूनिट (L.U.)

माह अक्टूबर, 06 हेतु मांग वक्र निम्नानुसार होगा :

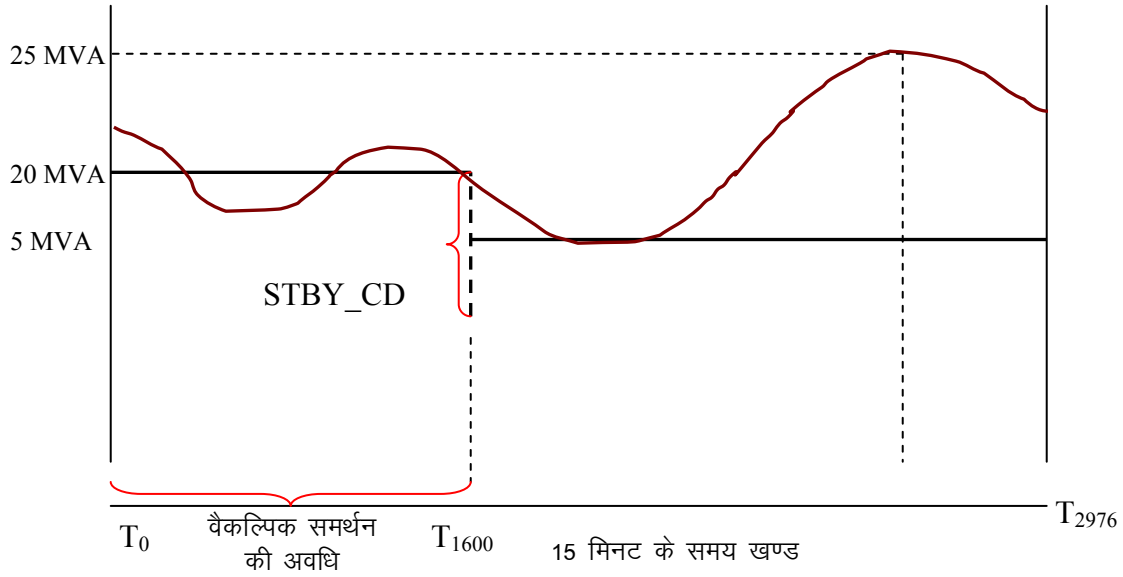

सामान्य मांग प्रभार = रू. 200/के वी ए * 5 एम वी ए = रू. 10 लाख

वैकल्पिक समर्थन मांग प्रभार ={(रू. 200/केवीए/2976)*1600}* 20 एमवीए = रू. 21.50 लाख

अतिरिक्त मांग = RMD - CD - STBY - CD = 25-5-0 = 20 एमवीए

(वैकल्पिक समर्थन की अवधि के अन्तर्गत शीर्ष मांग (पीक) घटित नहीं होती, अतः मांग उल्लंघन (Violation) मापन के प्रयोजन से STBY - CD शून्य होगी)

अतिरिक्त मांग प्रभार = 1.5 * रू. 200/ केवीए * 20 एमवीए = रू. 60 लाख

ऊर्जा प्रभार = रू. 3.30/यूनिट * 70 लाख यूनिट = रू. 231 लाख

माह अक्टूबर 06 हेतु कुल देयक राशि (रू. 20/केवीए के स्थाई आकस्मिक प्रभार को सम्मिमिल न करते हुए) = रू. 3.22 करोड